न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा.अ.सं0 1/2015 रामकन्या बनाम सरकार वगैरह

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12-06-17	पत्रावली पेश हुई वकीलान पक्षकार उपस्थित। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण सं0 1461 दिनांक 6-9-1998 के द्वारा मृतक धन्नी के हिस्से का विरासत का नामान्तरकरण जो स्वीकार किया गया है इसे निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, फागी को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभय पक्षों को पुनः सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि-सम्मत निर्णय पारित करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12-06-17 को खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	प्रेषित 1651 / 21-6-17

न्यायालय सुनील भाटी, आर.ए.एस. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व अपील सख्या: 01 / 2015

रामकन्या पुत्री स्व0 श्री मोती पत्नी श्री धासी, जाति–माली, निवासी–निमेडा, तहसील–फागी, हाल ग्राम सेवा तहसील–मौजमाबाद, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार–फागी, जिला–जयपुर।
2. रामस्वरूप पि0मु0 श्री गोपी, जाति–माली, निवासी–निमेड़ा तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. श्योजी पुत्र स्व0 श्री किशना, जाति–माली, निवासी–निमेड़ा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. माधो पुत्र स्व0 श्री किशना, जाति–माली, निवासी–निमेड़ा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. जगदीश पुत्र स्व0 श्री किशना, जाति–माली, निवासी–निमेड़ा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
6. प्रभाती पत्नी स्व0 सूरजकरण पुत्र स्व0 श्री किशना, जाति–माली, निवासी–निमेड़ा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
7. नन्दलाल पुत्र स्व0 श्री सूरजकरण, जाति–माली, निवासी–निमेड़ा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
8. कजोड पुत्र स्व0 श्री सूरजकरण, जाति–माली, निवासी–निमेड़ा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
9. हरि पुत्र स्व0 श्री हनुमान, जाति–माली, निवासी–निमेड़ा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
10. सायर पुत्र स्व0 श्री हनुमान, जाति–माली, निवासी–निमेड़ा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 (1) राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर दिनांक 06.09.1998 नामान्तरकरण सं0 1461 ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला–जयपुर।)

उपस्थित:–

1. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हनुमानसहाय सिहाग, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 3, 4 व 5 की ओर से।
3. श्री राजकुमार चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2, 9 व 10 की ओर से।
4. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 व 8 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः 12.06.2017

तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर द्वारा ग्राम–निमेडा की आराजी ख0नं0 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा हिस्सा 1/5, आराजी ख0नं0 कुल किता 17 रकबा 20 बीधा हिस्सा 1/5 व आराजी ख0नं0 कुल किता 12 रकबा 20 बीधा 1 बिस्वा के खातेदार गोपी किशना सूरजकरण लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल मु0 घन्नी पत्नी स्व0 श्री मोती शेष जमाबन्दी बदस्तुर की खातेदार धन्नी की फौतगी का नामान्तरकरण सं0–1461 दिनांक 06.09.1998 को स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं0–6, 7 व 8 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमानप्रसाद चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 06.09.1998 नामान्तरकरण सं0–1461 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व आराजी से सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस दिया जाकर समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के दादा श्रीलाल की कब्जेशुद्धा काश्तकारी भूमि हैं। खातेदार श्रीलाल की फौतगी पर उसके 5 बेटो के नाम नामान्तरकरण क्रमशः गोपी किशना सूरजकरण मोती व लक्ष्मीनारायण के नाम स्वीकार किया गया हैं और इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हैं। श्रीलाल के पुत्र मोती अपीलान्ट के पिता हैं और पिता मोतीलाल की फौतगी पर मोतीलाल के हिस्से की आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट की माता अर्थात् मोतीलाल की पत्नी घन्नी के नाम स्वीकार किया गया हैं परन्तु धन्नी की फौतगी पर विरासत का नामान्तरकरण धन्नी की पुत्री अपीलान्ट रामकन्या के नाम स्वीकार न करके बाला–बाला धन्नी के चारों देवरों एवं उनके वारिसो के नाम स्वीकार किया गया हैं जो प्रारम्भ से शून्य होने से निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट रामकन्या खातेदार धन्नी की एक मात्र जायन्दा पुत्री हैं और वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जाकाश्त हैं। अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस हैं और वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/5 की धन्नी की फौतगी के पश्चात् एक मात्र कानूनी वारिस हैं। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 06.09.1998 की अपीलान्ट को पूर्व में जानकारी नहीं थी परन्तु दिनांक

20.12.2014 को पटवारी हल्का के पास जाकर अपने हिस्से की भूमि का किसान कार्ड बनाने के लिए गई तो पटवारी हल्का द्वारा जाहिर किया गया कि उसके माता–पिता की खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण तो अपीलान्ट के चाचाओ ने मोती व धन्नी को नाऔलाद बताकर खुद के नाम स्वीकार करा लिया गया हैं। ऐसा जाहिर होने पर अपीलान्ट ने नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की और जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील पेश की हैं। प्रारम्भ से शून्य आज्ञा के विरूद्ध चुनौती दिये जाने हेतु कोई मियाद बिन्दु नहीं हैं। अतः अपील–अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण सं0–1461 द्वारा अपीलान्ट की माता के हिस्से की आराजी 1/5 हिस्सा का गोपी वगैराह के नाम स्वीकार किया गया नामान्तरकरण निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के नाम स्वीकार किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्ट सं. 2, 9 व 10 के विद्धान् अभिभाषक श्री राजकुमार चौधरी का कथन हैं कि वादग्रस्त आराजी इनके पूर्वज श्रीलाल की हैं और उनकी फौतगी पर गोपी, किशना, सूरजकरण, मोती व लक्ष्मीनारायण के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं। रामकन्या मोती व धन्नी की जायन्दा सन्तान हैं। अतः धन्नी की विरासत का नामान्तरकरण रामकन्या के नाम स्वीकार किया जाता हैं तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।

विद्धान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा समस्या समाधान शिविर में स्वीकार की गई हैं। इसके बावजूद भी यदि रामकन्या मृतक धन्नी की पुत्री हैं तो नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

रेस्पोन्डेट सं0 3, 4 व 5 के विद्धान् अभिभाषक श्री हनुमानसहाय सिहाग का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा नामान्तरकरण सं0–1461 दिनांक 06.09.1998 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के अनुरुप स्वीकार की गई हैं। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 06.09.1998 राजस्व अभियान समस्या समाधान शिविर में मजमें आम में स्वीकार की गई हैं। अपीलाधीन आज्ञा की अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही जानकारी थी और अपीलान्ट ने मौखिक सहमति से अपने हक का त्याग कर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कराया हैं और वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। धन्नी की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स का कब्जाकाश्त हैं। अपीलान्ट रामकन्या अपने विवाह के पश्चात् अपने परिवार सहित ससुराल में निवास कर रही हैं। अपीलान्ट की जब कोई जमीन ही नहीं हैं तो किसान कार्ड के लिए पटवारी के

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

पश्चात् आधारहीन तथ्यों पर अपील की गई हैं। अतः अपील–अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावलियों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नामान्तरकरण संख्या–1461 पर पटवारी हल्का द्वारा खातेदार श्रीलाल का सजरा खानदान अंकित किया गया हैं जिसमें श्रीलाल के 5 पुत्र गोपी किशना सूरजकरण मोती व लक्ष्मीनारायण होना दर्शाया हैं। मोती के फौतगी दर्शाते हुए धन्नी को फौत होना तथा पुत्र X न होना अंकित करते हुए धन्नी का हिस्सा रेस्पोडेन्ट्स के नाम स्वीकार किया गया हैं जबकि वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट सं0–3, 4 व 5 तथा 2, 9 व 10 के विद्वान अभिभाषकगण ने मोती व धन्नी की जायन्दा पुत्री रामकन्या को होना स्वीकार किया हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैं। वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट सं0–3, 4 व 5 के विद्वान अभिभाषक ने रामकन्या द्वारा अपने हक का त्याग करने का कथन किया हैं परन्तु पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह जाहिर हो कि रामकन्या के द्वारा विरासत में अपनी माता से प्राप्त हक का त्याग किया गया हो। चूंकि रामकन्या मृतक धन्नी की जायज एकमात्र जायन्दा पुत्री होने से मृतक की वारिस है और पुत्री होने के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं। पत्रावली पर ऐसे भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह जाहिर होता हो कि धन्नी की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व उसकी पुत्री अपीलान्ट रामकन्या को कोई सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर दिया गया हो इस प्रकार बिना सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये जायज वारिस को उसके हक–हकूको से वंचित किये जाने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील–अपीलान्ट स्वीकार की जाती हैं और नामान्तरकरण सं0–1461 दिनांक 06.09.1998 के द्वारा मृतक धन्नी के हिस्से का विरासत का नामान्तरकरण जो स्वीकार किया गया है उसे निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, फागी को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उभय–पक्षो को पुनः सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि–सम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

12/6/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर